भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

\*\*\*

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 883**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 / 06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

**आयकर वसूली को सरल बनाया जाना**

**883. श्री लाल सिंह वडोदिया:**

क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे करदाताओं की संख्‍या कितनी है जिनकी कर देयता 10 करोड़ रूपए से अधिक है;

(ख) वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान ऐसे करदाताओं की संख्‍या कितनी रही है; और

(ग) सरकार द्वारा आयकर की वसूली प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) 31.03.2015 की स्‍थिति के अनुसार 10 करोड़ रूपए से अधिक कर देयता वाले करदाताओं की कुल संख्‍या 4692 है।

(ख) 2012-13, 2013-14 और 2014-15 वर्षों के दौरान ऐसे करदाताओं की संख्‍या नीचे दी गई है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम सं. | वित्‍त वर्ष | मामलों की संख्‍या |
| 1 | 2012-13 | 2777 (31.3.2013 की स्‍थिति के अनुसार) |
| 2 | 2013-14 | 2367 (31.3.2014 की स्‍थिति के अनुसार) |
| 3 | 2014-15 | 4692 (31.3.2015 की स्‍थिति के अनुसार) |

(ग) केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड देय बकाया मांग के मामले में वसूली की निरन्‍तर रूप से निगरानी करता है। आयकर अधिनियम द्वारा करों की वसूली हेतु विहित उपायों के अलावा, के.प्र.क.बोर्ड ने अनुदेश सं. 1914 के जरिए बकाया मांग की वसूली के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्‍तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। वसूली हेतु अनुसरण की जानेवाली विस्‍तृत रणनीतियों को भी के.प्र.क. बोर्ड द्वारा प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष के आरंभ में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए गए केन्‍द्रीय कार्य योजना में भी विहित किया जाता है।

............